विभाग द्वारा प्रदेश में औद्योगिक अधोसंरचना विकास (Industrial Infrastructure Development) संबंधी किये जाने वाले कार्य

शीर्ष ''अ'' विकास	शीर्ष ''ब'' आवंटन	शीर्ष ''स'' विशेष परियोजना
1. औद्योगिक क्षेत्र, संस्थान एवं ग्रामीण कार्यशाला के विकास के लिए उपयुक्त स्थल का चयन, भूमि का अधिग्रहण हस्तांतरण एवं औद्योगिक प्रयोजन हेतु शासकीय भूमि का हस्तांतरण । 2. औद्योगिक क्षेत्र, संस्थान एवं ग्रामीण कार्यशाला के अभिन्यास एवं निर्माण योजनाओं का अनुमोदन । 3. विकास केन्द्रों के विकास हेतु उपयुक्त स्थल का चयन निजी भूमि का अधिग्रहण एवं शासकीय भूमि का हस्तांतरण । 4. विकास केन्द्रों में अभिन्यास एवं निर्माण योजनाओं का अनुमोदन । 5. शहरी भूमि सीमा अधिनियम के अंतर्गत प्रकरणों का निपटारा। 6. केन्द्र शासन की विभिन्न योजनाओं के अधोसंरचना विकास के प्रगति की समीक्षा ।	1. औद्योगिक क्षेत्र, संस्थान ग्रामीण कार्यशाला के विकास हेतु प्रस्ताव/ आवंटन । 2. भूमि एवं भवन का आवंटन, निरस्तीकरण/ अपील। 3. औद्योगिक क्षेत्र, संस्थान एवं ग्रामीण कार्यशाला में जल, बिजली एवं विभिन्न अन्य अधोसंरचना जैसी मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराना । 4. अन्य समस्त योजनाओं के अंतर्गत निर्माण कार्य। 5. औद्योगिक क्षेत्र, संस्थान एवं ग्रामीण कार्यशाला तथा विकास केन्द्रों का संधारण । 6. राज्य में नई रेल लाईन हेतु प्रस्ताव । 7. क्लस्टर विकास से संबंधित अधोसंरचना का कार्य । 8. उद्योग मित्र योजना 2004 एवं कक्ष से संबंधित अनय योजनाओं का कार्य ।	1. विशेष परियोजनाएं। 2. एसाइड से संबंधित कार्य । 3. ऐसे अन्य सभी कार्य जो भारत सरकार की योजनाओं के अंतर्गत विभाग द्वारा किये जायें।

अधोसंरचना विकास संबंधी मुख्य कार्य –

राज्य में स्थापित होने वाले नवीन विकास केन्द्रों, आद्योगिक क्षेत्रों/अर्द्धशहरी औद्योगिक संस्थानों की स्थापना हेतु भू–अर्जन–संबंधी कार्य औद्योगिक क्षेत्रों में विकास एवं संधारण का कार्य औद्योगिक विकास केन्द्रों से संबंधित कार्य बकाया राजस्व की वसूली न्यायालयीन प्रकरणों में समयावधि में राशि उपलब्ध कराना उद्योग मित्र योजना का क्रियान्वयन भूमि आवंटन संबंधी नियम प्रक्रिया व नीति निर्धारण भूमि आवंटन निरस्तीकरण एवं उनसे संबंधित अपील सुनवाई बजट का समुचित उपयोग एवं ऑडिट आदि।

2. राज्य में स्थापित विकास केन्द्र एवं औद्योगिक केन्द्र विकास निगम –

मध्यप्रदेश राज्य में भारत सरकार की योजना अन्तर्गत राज्य में 19 विकास केन्द्र स्थापित किये गये हैं, इन विकास केन्द्रों की स्थापना एवं विकास के उन्नयन के लिये स्वीकृत योजनानुसार भारत सरकार/राज्य सरकार एवं क्रियान्वित ऐजेंसी एवं बैंकों से प्राप्त ऋण के अंश पूंजी अनुसार विकास केन्द्रों की स्थापना की गई है।

विकास केन्द्रों का रखरखाव मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास केन्द्र निगमों द्वारा किया जाता है। इन विकास केन्द्रों में बुनियादी सुविधायें उपलब्ध कराकर भू–खंड/प्लॉट औद्योगिक केन्द्र विकास निगम द्वारा नवीन उद्योगों को व विस्तारित उद्योगों को आवंटित किया जाता है। राज्य में पांच औद्योगिक केन्द्र विकास निगम क्रमशः इन्दौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर व रीवा कार्यरत हैं। इन विकास निगमों के अध्यक्ष मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम (M.P.S.I.D.C.) के अध्यक्ष होते हैं। मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम का अध्यक्ष जनप्रतिनिधि अथवा मंत्री महोदय होते हैं। औद्योगिक केन्द्र विकास निगमों द्वारा निरस्त भू–खण्डों की अपील संबन्धी सुनवाई अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा की जाती है।

औद्योगिक केन्द्र विकास निगमों को विकास केन्द्र स्थापना हेतु जिला कलेक्टर से शासकीय व निजी भूमि के भू–अर्जन के प्रस्ताव पर अनुमति वाणिज्य एव उद्योग विभाग द्वारा दी जाती है।

3. राज्य में स्थापित औद्योगिक क्षेत्र/अर्द्धशहरी औद्योगिक संस्थान –

उद्योग संचालनालय द्वारा राज्य में विभिन्न जिलों/तहसीलों में 166 औद्योगिक क्षेत्रों/अर्द्धशहरी संस्थान की स्थापना की गई। राज्य के विभिन्न जिलों/तहसीलों में स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों/अर्द्धशहरी औद्योगिक संस्थानों को संस्थानों में बुनियादी सुविधायें जैसे–सड़क, नाली, पुलिया निर्माण, विद्युत व्यवस्था आदि विकास कार्य हेतु उद्योग संचालनालय से राशि का आवंटन औद्योगिक केन्द्र विकास निगम को महाप्रबन्धक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों की मांग अनुसार व बजट उपलब्धता अनुसार बजट उपलब्ध कराया जाता है, व इन औद्योगिक क्षेत्रों के भू–खंड/प्लॉटों के आवंटन का अधिकार महाप्रबन्धक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों

द्वारा नवीन उद्योगों की स्थापना/विस्तारित उद्योगों की मांग अनुसार व पात्रतानुसार नियमानुसार किया जाता है।

प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र एवं औद्योगिक विकास केन्द्र का विवरण निम्नानुसार है :–

प्रदेश में निम्नानुसार औद्योगिक क्षेत्र एवं औद्योगिक विकास केन्द्र विकसित किये गये हैंः–

औद्योगिक क्षेत्र	97 कुल क्षेत्रफल 4316.526 हेक्टेयर
औद्योगिक संस्थान	19 कुल क्षेत्रफल 344.243 हेक्टेयर
अर्द्ध शहरीय औद्योगिक संस्थान	22 कुल क्षेत्रफल 171.016 हेक्टेयर
ग्रामीण कर्मशाला	11 कुल क्षेत्रफल 78.209 हेक्टेयर
औद्योगिक विकास केन्द्र ’	19 कुल क्षेत्रफल 7050.524 हेक्टेयर

विवरण निम्नानुसार हैः–

कमांक	विकास केन्द्र का नाम	कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)
1	पीलूखेडी, जिला–राजगढ़	288.000
2	मण्डीदीप, जिला–रायसेन	777.843
3	सतलापुर, जिला–भोपाल	321.190
4	घिरोंगी, जिला–भिण्ड	716.000
5	चैनपुरा, जिला–गुना	487.602
6	प्रताप पुरा, जिला–टीकमगढ़	94.000
7	मालनपुर, जिला–भिण्ड	611.34
8	बामोर, जिला–मुरैना	289.00
9	सिदगांव, जिला–सागर	225.00
10	पीथमपुर, जिला–धार	1370.00
11	खेडा, जिला–धार	150.00
12	मेघनगर, जिला–झाबुआ	156.00
13	मक्सी, जिला–उज्जैन	72.99
14	देवास सेक्टर–3, जिला–देवास	92.99
15	मनेरी, जिला–मण्डला	517.271
16	बोरगांव, जिला–छिन्दवाडा	271.900
17	पुरेना, जिला–पन्ना	105.50
18	बैढ़न, जिला–सीधी	34.00
19	उद्योग विहार, रीवा, जिला–रीवा	133.60

विशेष परियेाजनाएं

1. विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र (Special Economic Zone)

भारत सरकार की विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र **(Special Economic Zone)**योजना अन्तर्गत इन्दौर के निकट एक विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र की स्थापना की जा रही है, जिसके लिये शासन द्वारा आदेश क्रमांक एफ 20–24/बी/2001 दिनांक 08.08.2002 क्रमांक एफ 11/74/11/बी/2002, दिनांक 15.11.2002 एवं क्रमांक एफ 11–74 /11/बी/2002, दिनांक 29.11.2002 से शासकीय कृषि भूमि के हस्तांतरण एवं निजी भूमि के अधिग्रहण की अनुमति प्रदान की गई है।

यह प्रक्षेत्र लगभग 1038.50 हेक्टेयर भूमि में विकसित किया जायेगा, जिस पर लगभग 1050.00 करोड़ की लागत आयेगी। विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र इन्दौर का विकास कार्य औद्योगिक केन्द्र विकास निगम इन्दौर द्वारा किया जा रहा है। औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, इन्दौर द्वारा बताया गया है, कि प्रक्षेत्र हेतु चिन्हित 1038.50 हेक्टेयर भूमि में से 221.50 हेक्टेयर भूमि शासकीय तथा 678.50 हेक्टेयर भूमि निजी है, शेष 138.00 हेक्टेयर भूमि पहले ही से मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, इन्दौर के आधिपत्य में है। इस निजी भूमि के अर्जन के लिये कुल मुआवजा राशि रूपये 55.00 करोड़ आंकी गई है, जिसमें से रूपये 6.50 करोड़ राज्य शासन तथा रूपये 14.92 करोड़ की राशि एसाईड योजना अन्तर्गत एक्यूविटी के रूप में भारत सरकार द्वारा निगम को दिया जा चुका है। अतः अनुमानित अवार्ड राशि रूपये 43.00 करोड़ को भुगतान अर्जित भूमि हेतु दिया जाना होगा ।

अतः उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये मुआवजे की राशि में लगभग 30 प्रतिशत अर्थात् 13 करोड़ की वृद्धि सहित कुल रूपये 56 करोड़ की आवश्यकता होगी। तत्संबन्ध में वर्ष 2005–06 में राशि 2.00 करोड़ का प्रावधान परियोजना हेतु दिया गया है ।

निर्यात हेतु अपैरल पार्क :–

- यह भारत शासन,वस्त्र मंत्रालय की योजना है।
- अपैरल पार्क का अनुमानित आकार/औसत आकार 150 से 250 एकड हो सकता है ।
- अपरैल पार्क की अधोसंरचनात्मक सुविधाओं पर राज्य सरकार द्वारा दिये गए पूंजीगत व्यय का 75 प्रतिशत केन्द्र सरकार अनुदान के रूप में प्रदान करेगी जबकि बाकी 25 प्रतिशत एजेन्सी द्वारा वहन किया जावेगा ।
- यह अनुदान अधिकतम रू. 10.00 करोड तक सीमित होगा ।
  इसके अतिरिक्त एफ्ल्यूऐंट ट्रीटमेंट प्लांट, मार्केटिंग हेतु हॉल की स्थापना के लिये 5. 00 करोड़ एवं प्रशिक्षण सुविधा के लिये 50 प्रतिशत अधिकतम रूपये 2.00 करोड़ का प्रावधान है।
- भारत शासन द्वारा अपेरल पार्क फॉर एक्सपोर्ट योजनातंर्गत एसईजेड इंदौर में अपेरल पार्क की स्थापना हेतु दिनांक 10.2.2004 को सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है।
- स्वीकृति पत्र मेंअन्य शर्तो के अतिरिक्त उल्लेखनीय शर्त यह है कि स्वीकृति पत्र जारी होने के 3 माह में परियोजना का कियान्वयन आंरभ करना होगा। 25 प्रतिशत प्लाट तीन माह में व 50 प्रतिशत 6 माह में बुक करने होंगे।
- यह पार्क 150 से 250 एकड़ भूमि में राशि रूपये 2907.00 लाख लागत से विकसित किया जावेगा तथा लगभग 20,000 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होगा।
- इस परियोजना की कुल लागत में से केन्द्रांश रूपये 1700.00 लाख राज्यांश (भूमि के रूप में) रूपये 540.00 लाख एवं कियान्वयन एजेंसी का अंश रूपये 667.61 लाख है। राज्य शासन ने बैठक दिनांक : 2–12–2005 में निर्णय लिया है कि, कियान्वयन् संस्था का अंश राज्य शासन वहन करेंगें।
- वर्ष 2004–2005 में कुल राशि रूपये 160.01 लाख कियान्वयन संस्था को राज्यांश के रूप में उपलब्ध कराये गये है।

- **<u>वस्त्र केन्द्र अधोसंरचना विकास योजना (Textile Centres Infrastructure Developement Scheme)</u>**

- भारत सरकार ने परंपरागत वस्त्र अपेरल केन्द्रों में स्थित एककों की सहायता करने हेतु उनमें व्याप्त जटिल इन्फ्रास्टक्चर अंतर को दूर करने के लिये वस्त्र अधोसंरचना विकास केन्द्र **<u>(TCIDS)</u>** नामक एक योजना शुरू की गई है।
- योजना के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता, सामान्य बहिस्त्राव संयंत्र के संबंध में परियोजनाओं के संघटक के 100 प्रतिशत तक उपलब्ध कराई जावेगी जिससे अपेरल एककों के लिये जल आपूर्ति एवं निकासी की सुविधाओं में सुधार लाने और क्रेच भवन का निर्माण करने के निमित्त होगी। जबकि अन्य संघटकों का वित्त पोषण का अनुपात, केन्द्र और राज्यों/प्रतिष्ठित एजेंसियों के बीच 75:25 का होगा जिसकी अधिकतम सीमा 20.00 करोड़ है।
- भारत शासन द्वारा टी.सी.आई.डी.एस. योजना के अंतर्गत रेडीमेड गारमेंट काम्पलेक्स परदेशीपुरा इंदौर में विकसित करने की स्वीकृति दिनांक 4.9.2003 को दी गई थी।
- योजना कुल रूपये 1401.00 लाख की स्वीकृति हुई थी जिसमें भारत शासन का अशं रूपये 912.00 लाख, राज्य शासन का अशं रूपये 278.00 लाख एवं क्रियान्वयन एजेंसी–मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, इंदौर का अंश रूपये 210.00 लाख है।
- परियोजना में राज्य शासन का अंश की राशि रूपये 278.00 लाख का उपयोग पूर्व में ही हो चुका है।
- योजनातंर्गत भारत शासन द्वारा स्वीकृत राशि की प्रतिपूर्ति करने का प्रावधान है।
- परियोजना के मानिटरिंग हेतु दिनांक 16.9.2003 को राज्य स्तर पर वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा एक तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया है जिनके अध्यक्ष उद्योग आयुक्त है। यह समिति राज्य के लिये भारत शासन से स्वीकृति परियोजनाओं के क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण करेंगी।
- भारत शासन से प्रथम किश्त के रूप में दिनांक 20.10.03 द्वारा रूपये 19.33 लाख, द्वितीय किश्त के रूप में दि. 22.3.2004 द्वारा रूपये 51,95,415.75, तृतीय किश्त के रूप में दिनांक 11.10.2004 द्वारा रूपये 1,02,98,748, चतुर्थ किश्त के रूप में दिनांक 24.3. 2005 द्वारा रूपये 82,18,500/– एवं पांचवी किश्त के रूप में दिनांक 22.9.2005 द्वारा राशि रूपये 1,06,70,250/– कुल रूपये 36315913.75 की स्वीकृति प्राप्त हुई है।
- निगम द्वारा कुल रूपये 500.73 लाख परियोजना पर व्यय किया गया है।

एसाईड योजनाः– (Assistance to States for Developing Export Infrastructure for exports and other Allied Activities):-

भारत शासन, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की योजना है। परिपत्र क्रमांक 20/7/2000–स्टेट्स सेल, दिनांक 15 मार्च 2002 से प्रसारित की गई है।

निर्यात संवर्द्धन हेतु अधोसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्‌देश्य से प्रारंभ, चूॅकि राज्यों को निर्यात सवंर्द्धन से सीधा लाभ प्राप्त नहीं होता। भारत सरकार द्वारा राज्यों को पूर्व निर्धारित मापदंड अनुसार वितरण निर्यात संबंधित अधोसंरचना विकास की पूर्व योजनाएं जैसे इपीआईपी, ईपीजेड एवं सीआईबी योजना इस नवीन योजना में समाहित।

येाजना की निधि के दो भाग है। निधि का 80 प्रतिशत राज्य हिस्सा राज्यों को पूर्व निर्धारित मापदंडों अनुसार अनुमोदित उद्‌देश्यों हेतु वितरण, 20 प्रतिशत केन्द्रीय हिस्सा अंतर्राज्यीय योजनाओं हेतु केन्द्र सरकार स्तर पर सुरक्षित रखा जाता है।

भारत सरकार द्वारा राज्यों को 50–50 प्रतिशत के दो हिस्सों में विमुक्त। प्रथम 50 प्रतिशत का हिस्सा निर्यात के आधार पर, जिसकी गणना कुल निर्यात में राज्य के हिस्से के आधार पर होगी। अन्य 50 प्रतिशत के हिस्से की विमुक्ति पिछले वर्ष के निर्यात की विकास दर में राज्य के हिस्से के आधार पर होगी।

राज्य के निर्यात एवं निर्यात की विकास दर डायरेक्टर जनरल आफ कामर्शियल इन्टेलीजेंस एण्ड स्टेटिस्टिक्स में संधारित जानकारी के आधार पर आंकलित। निर्यातक निर्यात के समय शीपिंग बिल में राज्य अंकित करते है जिससे राज्य के निर्यात की जानकारी प्राप्त होती है।

समिति अधोसंरचना प्रस्तावों पर परीक्षण कर अनुमोदन प्रसारित करती है।

योजनातंर्गत उद्योग आयुक्त निर्यात आयुक्त घोषित है। राज्य स्तरीय समिति यह सुनिश्चित करेगी कि, अपवाद स्वरूप प्रकरणों को छोड़कर 2 वर्ष से अधिक समय तक क्रियान्वित होने वाली परियेाजनाएं स्वीकृत नहीं होगी। केन्द्रीय शासन के 20 प्रतिशत केन्द्रीय अंश वितरण के लिये सचिव वाणिज्य मंत्रालय की अध्यक्षता में समिति गठित है, जो कि इस हिस्से में से स्वीकृति प्रसारित करेंगी । राज्य को विमुक्त राशि की स्वीकृति राज्य स्तर पर की जावेगी। क्रियान्वयन संस्था अधोसंरचना की उपभोक्ता इकाईयों से संधारण एवं संचालन शुल्क प्राप्त करेगी। परियेाजना स्वीकृति के लिये निर्यात से सीधा संबंध होना आवश्यक है।

निधि अंतर्गत राशि विमुक्ति इस योजना अंतर्गत घोषित नोडल एजेंसी को की जाती है। मध्यप्रदेश की नोडल एजेंसी मध्यप्रदेश स्टेट इंडस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कारपो0 है। पूर्व में संचालित सीआईबी योजना को एसाइड योजना में ही सम्मिलित किया गया है। योजना अंतर्गत राज्य स्तरीय निर्यात संवर्द्धन समिति शासन के आदेश क्रमांक

एफ–19/71/2002/1/4, दिनांक 3 जून 2002 से मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित है। समिति निम्नानुसार हैः–

1. मुख्य सचिव	अध्यक्ष
2. प्रमुख सचिव,वाणिज्य एवं उद्योग	सदस्य
3. कृषि उत्पादन आयुक्त	सदस्य
4. संचालक (स्टेटसेल) मिनिस्ट्री आफ कामर्स भारतशासन	सदस्य
.5. सचिव सूचना प्रोद्योगिकी	सदस्य
6. प्रबंध संचालक,म0प्र0राज्य औद्योगिक विकास निगम	सदस्य
7. प्रबंध संचालक,म0प्र0एग्रो स्टेट नोडल ऐजेन्सी फार फूडप्रोसेसिंग इण्डस्ट्रीज	सदस्य
8. संयुक्त महानिर्देशक विदेश व्यापार भोपाल क्षेत्रीय कार्यालय	सदस्य
9. उद्योग आयुक्त	सदस्य सचिव

एकीकृत अधोसंरचना विकास केन्द्र (I.I.D.C).

औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में लधु उद्योग की स्थापना हेतु अधोसंरचना विकास की भारत शासन, कृषि, लघु एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की योजना (I.I.D.C). है। योजना परिपत्र क्रमांक एफ–2/1/90, पीएलजी, दि. 7.3.94 से प्रसारित है।

उद्देश्यः– देश के पिछड़े क्षेत्रों में 50 एकीकृत अधोसंरचना विकास केन्द्र विकसित करना है जहॉ कि विकास केन्द्र स्थापित नहीं है।

योजना के अन्य उद्देश्य लघु एवं कुटीर उद्योगों में जिससे रोजगार एवं निर्यात के अवसर बढ़ाने हेतु सामूहिक विकास कृषि एवं उद्योगाकं में सहसंबंध बढ़ाना, कामन सर्विस फेसिलिटी एवं तकनीक पहॅुच बढ़ाना है तथा विद्युत जल संचार की अधोसंरचना सुविधाओं का नये क्षेत्रों में विकास एवं पुराने क्षेत्रों में उन्नयन भी है।

चयनः– एकीकृत अधोसंरचना विकास केन्द्र का चयन क्षेत्र की औद्योगिक संभाव्यतः सर्वेक्षण को समग्र अध्ययन, स्थल चयन, जिला तहसील, विकासखण्ड, मुख्यालय से नजदीकी के आधार पर होगा। निम्न बिन्दु की विचारित किये जावेंगेः–

–रेल्वे स्टेशन, राज्य हाईवे से नजदीकी परिवहन के दृष्टिगत
–जल प्रदाय की उपलब्धता
–विद्युत प्रदाय से नजदीकी
–दूरसंचार सुविधायें
–पर्यावरणीय संतुलन

–श्रमिक के आवास से केन्द्र की नजदीकी
–उपलब्ध भूमि केन्द्र हेतु उपयुक्त हो तथा विकासदर न्यूनतम आवें।

ऋण/अनुदान हेतु मान्य मदेंः–

- भूमि/प्लाट का विकास
- औद्योगिक क्षेत्र में सेवा सड़के तथा मुख्य सड़क, मुख्य रेल से जोड़ने हेतु सड़क
- जल प्रदाय, विद्युत वितरण प्रणाली,, क्षेत्र के अंदर, दूरसंचार सुविधायें
- इफ्ल्युऐंट ट्रीटमेंट प्लांट
- सार्वजनिक सूविधायें, प्रशासकीय भवन, बैंक, पोस्ट आफिस, सभाग्रह, प्राथमिक उपचार केन्द्र
- कच्चा माल संग्रहण तथा विपणन केन्द्र इत्यादि

वित्तीय सहायता के प्रावधानः– योजना लागत सामान्यतः 500.00 लाख है, इस योजनातंर्गत अधोसंरचना विकास हेतु परियेाजनाओं को योजना अंतर्गत विचार किया जाता है जिसमें भारत शासन का अनुदान राशि अधिकतम 40 प्रतिशत (रूपये 200.00 लाख) एवं शेष 60 प्रतिशत (राशि रूपये 300.00) सिडबी से टर्मलोन के रूप में प्राप्त की जा सकती है अन्यथा उक्त राशि की व्यवस्था संबंधित कियान्वयन एजेंसी अथवा राज्य सरकार द्वारा की जावेगी।

कियान्वयन संस्थाः–जिनकी अच्छी पृष्ठभूमि हो उन कियान्वयन संस्था के माध्यम से राज्य सरकार योजना क्रियान्वित करावेंगे।

परियेाजना अनुमोदन हेतु प्रक्रियाः–परियेाजना प्रस्ताव पर सिडबी द्वारा आर्थिक तकनीकी संभाव्यता का परीक्षण किया जाकर विकास आयुक्त भारत सरकार लघु उद्योग को भारत सरकार का औपचारिक स्वीकृति हेतु अग्रेषित किया जावेगा। भारत सरकार पर साधिकार समिति प्रकरणों पर स्वीकृति विचारित करेगी तथा स्वीकृति उपरांत सिडबी द्वारा राशि विमुक्त की जावेगी। सिडबी द्वारा परियेाजना का सतत पर्यवेक्षण किया जावेगा।

योजनातंर्गत 8 प्रस्ताव (जग्गाखेड़ी जिला मंदसौर, निमरानी जिला खरगौन, नादनटोला जिला सतना, प्रतापपुरा, जिला टीकमगढ़, लमतरा जिला कटनी, सांदिया जिला नीमच, नौगांव बीना जिला सागर, जडेरूआ जिला मुरैना) स्वीकृत किये जा चुके है।

खाद्य प्रसंकरण पार्क (Food Processing Park)

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना हेतु आधारभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने हेतु भारत शासन खाद्य मंत्रालय की योजना है। योजना के तीन अवयव हैः–

1. उपज आने के उपरांत अधोसंरचना एवं शीत श्रंखला सुविधाओं की स्थापना तथा मशरूम, हाप्स, गेरकिन्स, बेबीकार्न का उत्पादन एवं प्रसंस्करण हेतु अधोसंरचना सुविधाओं की स्थापना।
2. फुड प्रोसेसिंग औद्योगिक क्षेत्र/पार्कस् की स्थापना
3. मत्स्य उत्पादन एवं प्रसंस्करण हेतु अधोसंरचनात्मक सुविधाओं की स्थापना

योजनातंर्गत परियोजना लागत का 25 अधिकतम 4.00 करोड़ रूपये वित्तीय सहायता के रूप में भारत शासन से उपलब्ध होगें।

इनमें खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिये औद्योगिक क्षेत्र/पार्कस् स्थापित करने में सहायता की जावेगी जिसमें कॉमन फेसिलिटीज सेंटर्स विकसित किये जायेगें जिनमें, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसिंग एवं मिल्क चिलिंग प्लांट एवं कॉमन एफ्ल्युऐंट ट्रीटमेंट प्लांट आदि की सुविधाएं होंगी।

योजना में साफ्ट लोन का भी प्रावधान है, जिसकी ब्याज दर 4 प्रतिशत वार्षिक है तथा 5 वर्ष में ऋण अदायगी होगी यह अदायगी क्रियान्व्यन अवधि, अधिकतम 1 वर्ष के उपरांत होगी। इसके लिये क्रियान्वयन संस्था को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा खाद्य मंत्रालय भारत सरकार के पक्ष में जारी बैंक गारण्टी देना होगी।

योजनातंगर्त भारत सरकार द्वारा अनुदान/ऋण राशि सीधे ही क्रियान्वयन संस्था को मुक्त की जावेगी।

प्रस्तावों पर राज्य शासन अथवा राज्य की इस योजना की नोडल एजेंसी की अनुशंसा होना चाहिये। प्रदेश हेतु नोडल एजेंसी एमपी स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज कारपो0 पंचानन भवन मालवीय नगर भोपाल है।

योजनातंर्गत निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन, यह विस्तृत परियेाजना प्रतिवेदन, एप्राइजल रिपोर्ट के होना आवश्यक है।

योजनातंर्गत कुल 6 प्रकरण स्वीकृत किये गये है ।

क्र.	परियोजना का नाम	परि. लागत (लाखों में)	केन्द्र से प्राप्त राशि(लाखों में)	केन्द्र से शेष राशि(लाखों में)	व्यय (दि. 30.9. 2005)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	जग्गाखेड़ी, जिला–मंदसौर एकेव्हीएन–इंदौर	815.00	400.00	0.00	744.57
2.	निमरानी, जिला–खरगौन एकेव्हीएन–इंदौर	866.00	200.00	200.00	579.76
3.	पिपरिया–बाबई, जिला–होशंगाबाद एकेव्हीएन भोपाल	821.00	328.76	71.24	675.78
4.	बोरगांव, जिला–छिदंवाड़ा एकेव्हीएन जबलपुर	844.00	400.00	0.00	783.56
5.	मालनपुर, जिला–भिण्ड एकेव्हीएन ग्वालियर	801.00	200.00	200.00	599.30
6.	मनेरी जिला मंडला एकेव्हीएन जबलपुर	801.00	200.00	200.00	370.19

एसटीआईपी (इंटीग्रेटेड टेक्सटाईल पार्क)

भारत सरकारः— वस्त्र मंत्रालय की योजना, परिपत्र क्रमांक 13/96/04/एक्सपोर्ट/ 1, दिनांक 12.8.2005 से प्रसारित

यह योजना स्कीम फॉर इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क्स दो प्रचलित योजनाओं क्रमशः स्कीम फार एपरेल पार्क फार एक्सपोर्ट्स एवं टेक्सटाईल सेंटर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट स्कीम को समाहित करके बनायी गयी है।

योजना का प्रमुख उद्देश्यः—उद्यमियों के विश्वस्तरीय पार्क्स में विश्व स्तरीय अधोसरंचनात्मक सुविधा टेक्सटाईल उद्योगों की स्थापना हेतु उपलब्ध कराना है जिससे ये उद्योग अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण एवं सामाजिक स्तर प्राप्त कर सकें। योजना में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित की जावेगी एवं परियोजना क्रियान्वयन के लिये व्यावसायिक संस्था को संबंद्ध किया जावेगा।

प्रत्येक इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क में सामान्यतया 50 इकाईयॉ, कुल 750 करोड़ की पूंजी निवेश एवं 20000 व्यक्तियों में सेवानियोजन से स्थापित कराई जावेगी। भारत सरकार द्वारा दो वर्ष में 2005—2006 एवं 2006—2007 में 25 पार्क्स विकसित करने पर 625 करोड़ विमुक्त किये जावेंगे। यह पार्क एस0ई0जेड़ में भी विकसित किये जा सकेंगे।

योजना औद्योगिक स्थल जहॉ कि तीव्रगति से विकास की संभावना है, हेतु है विश्वस्तरीय अधोसंरचना उपलब्ध कराने में इस योजना की परियोजना लागत में सामान्य अधोसंरचना एवं उत्पादन/सहायक गतिविधियों हेतु भवन सम्मिलित किये जा सकेंगे, जिनमें निम्न घटक होंगेः—

भूमि

समान्य अधोसंरचना जैसे बाउण्ड्री वाल, सड़के, नालियॉ, जल प्रदाय, विद्युत प्रदाय, केपटिव पावर प्लांट सहित, उत्सर्जित जल संशोधन संयत्र, दूरसंचार लाईनें इत्यादि सामान्य सुविधा भवन जैसे— टेस्टिंग लेब डिजायन सेंटर, ट्रेनिंग सेटंर, ट्रेड सेंटर/डिस्टले सेंटर, भण्डारण सुविधा, कच्चा माल संग्रहण केन्द्र, झूलाघर, केन्टीन, श्रमिक छात्रावास सेवा प्रदाताओं के कार्यालय, श्रमिक आराम एवं मनोरंजन केन्द्र उत्पादन हेतु फेक्टरी बिल्डिंग यंत्र संयत्र

उपरोक्त मार्गदर्शी सुविधाओं में आवश्यकतानुसार सुविधाएं जोड़ी जा सकेंगी। उपरोक्त में से फैक्ट्री बिल्डिंग का स्वामित्व स्पेशल परपज़ व्हीकल (प्रायवेट लिमिटेड कंपनी) का होगा। परियोजना लागत में 1,2,3,4, मद जोड़ी जावेगी। भारत सरकार से उपरोक्त घटक 2 एवं 3 हेतु राशि प्राप्त करने का विकल्प होगा।

क्रियान्वयन संगठनः—

आईटीपी के मुख्य प्रवर्त्तक औद्योगिक संघ/समूह होगे। एस0पी0व्ही0 को इसकी प्रचालन स्वायत्ता होगी, जिससे कि ये सार्वजनिक उद्यम न रहें एवं न ही राज्य अथवा केन्द्र सरकार के नियंत्रण में हों।

इस येाजना के संचालन के लिये वस्त्र मंत्रालय इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिन्ग एवं फाइनेन्शियल सर्विसेज या ऐसी ही व्यावसायिक संस्था से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेट के लिये एम.ओ.यू. करेगी, जोकि परियेाजना के तीव्र संचालन, पारदर्शिता एवं व्यावसायिक प्रबधंन हेतु उत्तरदायी होंगे। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट की फीस एस.पी.व्ही. को स्वीकार्य होगी।

कंसल्टेंट भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय को प्रतिवेदन देंगें जो कि सीधे ही परियेाजना क्रियान्वयन पर पर्यवेक्षण रखेंगे।

प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट के कार्यः—

1. मांग, संभावना के वैज्ञानिक आकंलन पर आधारित आई0टी0पी0 के स्थल का अभिज्ञापन।
2. प्रत्येक परियेाजना हेतु स्थानीय उद्योगें की भागीदारी के साथ एस0पी0व्ही0 का गठन में सहायता।

परियेाजना प्रतिवेदन, अधोसंरचना के गुणवत्ता मापदण्ड निर्धारित कर तैयार करना।
परियेाजना प्रतिवेदन का परीक्षण एवं प्रोजेक्ट एप्रूवल कमेटी के समक्ष प्रस्तुतिकरण।
एस0पी0व्ही0 को निविदा अभिलेख, निर्माण, संचालन, संधारण में सहायता
एस0पी0व्ही0 को वित्तीय प्रबंधन में सहायता।
क्रियान्वयन की समीक्षा कर सामयिक प्रतिवेदन वस्त्र मंत्रालय को प्रस्तुत करना।
राज्य सरकार से समन्वय स्थापित करना, राज्य से संबंधित समस्याओं का निदान।
परियेाजना का समयबद्ध क्रियान्वयन।

एस0पी0व्ही0ः—

प्रत्येक परियेाजना हेतु पृथक से एस0पी0व्ही0 का गठन निम्न सदस्यों सहितः—
स्थानीय उद्योग प्रतिनिधि
राज्य एवं केन्द्र सरकार
एस0पी0व्ही0 कंपनी एक्ट में पंजीकृत होगी।

एस0पी0व्ही0 के कार्य :—

अधोसंरचना का विकास, वित्तीय लक्ष्य की पूर्ति एवं क्रियान्वयन
भूमि की व्यवस्था, भू—लागत परियेाजना लागत में सम्मिलित होगी।
अधोसंरचना विकास उपरांत प्लाट का उद्योगों को आवंटन
पार्क में स्थापित होने वाली इकाईयों को बैंकों से वित्त प्राप्ति में सहयोग।
सेवाओं के एवज में शुल्क प्राप्ति एवं अधोसंरचना संधारण।
ठेकेदारों, कंसल्टेंट की नियुक्ति पारदर्शिता एवं निष्पक्षता रखते हुए करना, बचतयुक्त, स्ववित्तपोषित ढांचा विकसित करना।

दिनांकः 31.7.2005 तक स्वीकृत किन्तु कार्य प्रारंभ न करने वाली परियेाजनाएं निरस्त होगी।

राज्य सरकार की भूमिकाः–

1. वांछनीय अनुमति/अनुज्ञाओं का प्रसारण विद्युत, जल तथा ऐसी अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति में सहयोग।
2. भूमि का अभिज्ञापन एवं भूमि प्राप्ति में सहयोग (पार्क्स एसइजेड में भी विकसित किये जा सकेंगे)

राज्य की अधोसंरचनात्मक संस्थाओं की भागीदारी एस0पी0व्ही0 में अंशदान/इक्विटी के साथ।
उपयुक्त लचीला श्रमिक वातावरण, स्टाम्प ड्यूटी में मुक्ति
पार्क की सफलता के लिये समन्वयकारी योजनाऐं बनाना।
एस0पी0व्ही0 में राज्य सरकार भागीदारी करेंगी ताकि समन्वय रहें।

वित्तीय व्यवस्थाः– परियोजना लागत, वस्त्र मंत्रालय की इक्विटी/ अंशदान, राज्य सरकार की इक्विटी, राज्य अधोसंरचना निगमों की इक्विटी, उद्योग एवं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट तथा बैंक/वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त कर जावेगी।
भारत सरकार का अंशदान/इक्विटी परियोजना में 40ः ए अधिकतम 40 करोड़ तक होगा।
भारत सरकार, राज्य सरकार एवं अधोसंरचना निगम का संयुक्त अंशदान एस0पी0व्ही0 में 49 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

निधि विमुक्तिः–
भारत सरकार द्वारा निम्न चरणों में राशि विमुक्त एस0पी0व्ही0 को की जावेगीः–

1. 30% परियोजना के अनुमोदन के पश्चात अग्रिम, बशर्ते वित्तीय संस्था द्वारा परियोजना को उपयुक्त माना हो तथा भूमि की व्यवस्था हो गई हो।
2. 30% प्रथम किश्त का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरांत
3. 30% द्वितीय किश्त का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरांत
4. 10% पार्क में सफल क्रियान्वयन होने तथा परियोजना में 25ः उद्योगों के उत्पादन प्रारंभ करने एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुतिकरण उपरांत।

भूमिः–
एस0पी0व्ही0 द्वारा भूमि क्रय/व्यवस्था की जावेगी तथा भूमि का पंजीकृत मूल्य उद्योगों का अंशदान/हिस्सा परियोजना में माना जावेगा।

परियोजना अनुमोदन समितिः–
वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार स्तर पर समिति का गठन प्रस्तावों पर विचारण एवं स्वीकृति हेतु।

समीक्षा एवं पर्यवेक्षणः–
भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय

इंडस्ट्रीयल इन्फ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन स्कीम (IIUS)

भारत सरकार–वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग के पत्र क्रमांक 14/21/2001–डीबीए–५ दिनांक 16.12.2003 से इंडस्ट्रीयल इन्फ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन स्कीम प्रसारित की गई है, जिसका उददेश्य घरेलु उद्योगों में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक सुधार लाना है। योजनातंर्गत चयनित औद्योगिक स्थलों में भौतिक अधोसंरचना में सुधार लाया जा सकता है तथा दसवीं पंचवर्षीय योजना में गुणवत्तायुक्त अधोसंरचना में 20–25 कार्यरत उद्योग समूह/स्थलों पर विकसित करायी जावेगी, जिससे इन उद्योगों में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा विकसित हो सके।

उद्योग समूह स्थल (क्लस्टर्स) का चयन का आधार इकाई संख्या, कार्यरत व्यक्ति (प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष) उत्पादन, निर्यात संभावना, तुलनात्मक लाभ (बैंच मार्किंग) विकास की संभावना एवं आर्थिक पैमाना, उद्योग, संगठन का विगत इतिहास, अधोसंरचना में विशेष कमियॉ, क्रियान्वयन की समयावधि, स्पशेल परपज व्हीकल का संरचना तथा उद्योग समूह संगठन की परियेाजना प्रतिवेदन में 15 प्रतिशत की भागीदारी होगा।

उद्योग समूह संगठन द्वारा परियेाजना प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्र पर प्रस्तुत किया जावेगा। सभी आकड़े यथा संभव प्रमाणित हो।

योजना स्वीकृति एपेक्स कमेटी द्वारा भारत सरकार स्तर पर क्रमानुसार की जावेगी।

अधोसंरचना विकास के लिये उद्योग समूह द्वारा बनाये गये स्पेशल परपज व्हीकल को एक मुश्त केन्द्रीय सहायता अनुदान के रूप में दी जावेगी। केन्द्रीय सहायता परियेाजना लागत की 75 प्रतिशत अधिकतम 50 करोड़ तक होगी। 25 प्रतिशत संबंधित उद्योग समूह के अंशधारियों द्वारा वित्त सहायता दी जावेगी, जिसमें उद्योग समूह का न्यूनतम अंश 15 प्रतिशत होगा।

इस योजना के तहत पीथमपुर में ऑटो क्लस्टर के स्थापना की प्रशासकीय स्वीकृति भारत शासन, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 14/21/2001–डीबीए–1, दिनांक 3.2.2004 से प्राप्त हुई है तथा औद्योगिक क्षेत्र गोविंदपुरा में इंजीनियरिंग क्लस्टर हेतु परियेाजना प्रतिवेदन तैयार की जा रही है।

विशेष उल्लेखनीय बिन्दु :–

1. विभाग की नवीन घोषित औद्योगिक नीति एवं कार्य योजना 2004 में विभाग के वर्तमान भूमि शेड आवंटन नियम को पुनरीक्षित करने की नीति है । जिसके अंतर्गत नियमों का ड्राफट तैयार किया जा चुका है तथा इसके ड्राफट पर माननीय मंत्री महोदय के समक्ष विस्तृत विचार–विमर्श किया गया है । लगभग आधी कण्डिकाओं पर चर्चा हो चुकी है एवं आधी कण्डिकाओं पर चर्चा होना शेष है । इस हेतु शासन द्वारा दिनांक 5 अप्रेल निर्धारित की गई थी, जोकि स्थगित हो गई ।

2. भोपाल शहर के अंदर स्थित गोविन्दपुरा औद्योगिक क्षेत्र में अधोसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास, सुविधाओं में विस्तार एवं आधुनिकीकरण के लिए मान० मुख्यमंत्री जी की सक्रिय रूचि है, जिसके लिए 8 जनवरी, 2005 को मास्टर प्लान के संबंध में प्रस्तुतिकरण किया गया गया । प्रबंध संचालक, औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, भोपाल द्वारा निजी कन्सलटेंट से मास्टर प्लान तैयार कराया गया है । इसी संदर्भ में प्रबंध संचालक म0प्र0 कन्सलटेंसी ऑर्गनाईशन द्वारा भारत सरकार की एक योजना आईआईयूएस (इन्टीग्रेटेड इन्फ्रॉस्ट्रचर अपग्रेडेशन स्कीम) के तहत इंजीनियरिंग क्लस्टर विकसित करने हेतु भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट का प्रस्तुतिकरण किया गया था, जोकि राज्य शासन सीधे ही भारत सरकार को प्रस्तुत कर चुके हैं ।

<u>**विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र :–**</u> इन्दौर के निकट पीथमपुर में स्थापित हो रहे विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र में विश्वस्तरीय अधोसंरचना विकसित की जा रही है । साथ ही इसमें विश्व स्तरीय अधोसंरचनायुक्त एप्रेल पार्क भी विकसित किया जा रहा है ।

प्रदेश में भारत सरकार की विभिन्न योजनान्तर्गत गुणवत्तायुक्त औद्योगिक अधोसंरचना विकसित करने के लिए प्राप्त राशि एवं परियोजनाओं का विवरण वर्ष 2004–2005 एवं वर्ष 2005–2006 संलग्न परिशिष्ट 'ब' पर है ।

<u>**प्रदेश में ऑटोमोटिव्हस् टेस्टिंग ट्रेक की स्थापना :–**</u> इन्दौर के निकट धार जिले में विश्वस्तरीय टेस्टिंग ट्रेक की परियोजना विकसित करने का निश्चय भारत सरकार की वृहद् उद्योग एवं सार्वजनिक उपक्रम मंत्रालय वृहद् उद्योग विभाग द्वारा किया गया है । इसके लिए नेशनल ऑटोमोटिव्हस् टेस्टिंग एवं आर0एण्डडी0 इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट (NATRIP) की क्रियान्वयन संस्था NATRIP Implementation society (NATIS) का गठन भारत शासन, वृहद् उद्योग एवं सार्वजनिक उपक्रम मंत्रालय, वृहद् उद्योग विभाग के पत्र क्रमांक : 7/9/2005–एईआई।।, दिनांक : 30–8–2005 से हुआ ।

<u>**उद्देश्य :–**</u> ऑटोमोटिव्हस् टेस्टिंग एवं आर0एण्डडी0 पारस्परिक मान्यता प्राप्त सुविधा का विकास, स्वास्थ्य, पर्यावरण एवं मानव सुरक्षा के दृष्टिगत् ऑटोमोटिव्ह सुरक्षा उपायों का विकास एवं गुणवत्ता मापदण्डों पर ऑटोमोटिव्ह टेस्टिंग ।

(NATIS) संस्था भारत सरकार के उच्च प्राधिकारी सचिव, वृहद् उद्योग एवं सार्वजनिक उपक्रम विभाग की अध्यक्षता में गठित है । विश्वस्तरीय टेस्टिंग ट्रेक का मध्यप्रदेश की 4000 एकड़ भूमि पर इस शर्त के साथ विकसित किया जाना प्रस्तावित है कि, भूमि राज्य शासन उपलब्ध कराएगा । कलेक्टर धार प्राथमिक आंकलन अनुसार इस भूमि का भू–अर्जन मुआवजा लगभग 100 करोड़ रूपया होगा जोकि विभागीय बजट से देय है ।

परियोजना लागत निम्नानुसार है :–

1.	केन्द्रीय शासन का अंश	:	
	(अ) अनुदान	:	817.00 करोड़
	(ब) ऋण	:	273.00 करोड़
2.	ऑटोमोटिव्ह इकाईयों का अंश	:	510.00 करोड़
3.	परियोजना में लाभ लेने वाली ऑटोमोटिव्ह इकाईयों से सेवाशुल्क राशि.	:	118.00 करोड़
		कुलः	**1718.00 करोड़**